न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 15/2018
दायर दिनांक : 04.06.2018
आदेश दिनांक : 29.08.2025

श्रीमती कमलादेवी पत्नी रामचन्द्र पूर्बिया, निवासी कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द

– प्रार्थीया

बनाम

1. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये सक्षम अधिकारी/भू अवाप्ति अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
2. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये प्रोजेक्ट मैनेजर भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये श्री तहसीलदार, राजसमन्द

– विपक्षीगण

क्लेम आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 3 छ उपधारा 5 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997

एवार्ड कमांक 3014(अ) दिनांक 04.10.2013/दि० 24.04.2017

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री गिरीश तिवारी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1
3. श्री दिनेश बाफना, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2
4. श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

:: निर्णय ::

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997 अंतर्गत धारा 3 छ उपधारा 5 के तहत एवार्ड क्रमांक 3014(अ) दिनांक 04.10.2013/24.04.2017 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या दो द्वारा कांकरोली से भीलवाड़ा फोरलेन निर्माण हेतु वर्तमान में भू अवाप्ति अधिनियम के तहत अधिनियम की धारा 3 की कार्यवाही करते हुऐ भू अवाप्ति की प्रक्रिया के तहत प्रस्तावित रोड निर्माण करने हेतु तय की गई रोड की सीमा में गुजरने वाली भूमि को अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है। इस हेतु विपक्षी द्वारा अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है तथा क्लेम आवेदन पत्र एवं आपत्तियां मांगी गई है और मुआवजा अदायगी की कार्यवाही की जा रही हैं। अवाप्तिशुदा भूमि में प्रार्थीया की भूमि जो राजस्व ग्राम धोईन्दा तहसील व जिला राजसमंद की आराजी संख्या 3248/2 रकबा 78 वर्गमीटर

को भी सम्मिलित किया गया है। उक्त अवाप्तशुदा भूमि की वर्तमान बाजार दर 1500 रूपये प्रतिवर्गफीट से भी अधिक है। जबकि उक्त भूमि का मुआवजा प्रार्थीया को 6283.84 वर्गमीटर की दर से ही तय किया गया है जो कि 4,90,140/– रूपये ही अदा किया गया है। जबकि उक्त भूमि जो कि 78 वर्गमीटर अवाप्त की गई है, उस 1500/– रूपये प्रति वर्गफीट की दर से 12,06,270/– रूपये मुआवजा देय होता है। सक्षम प्राधिकारी अधिकारी द्वारा इसके अनुसार मुआवजा राशि तय नहीं की न ही अदा की, न ही एवार्ड जारी किया गया जबकि प्रार्थीया की 78 वर्गमीटर अवाप्त होने पर मुआवजा मात्र 4,90,140/– रूपये ही अदा किये गये हैं जबकि 1500 रूपये की दर से 12,06,270/– रूपये देय होता है तथा उसके भुगतान पर हुई देरी पर ब्याज तोषण (solatium) राशि देय होती है जो कि उक्त प्रकरण में अदा नहीं किया गया है उक्त अवाप्ति कार्यवाही में मुआवजा राशि नेशनल हाईवे प्राधिकरण भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय द्वारा अपने पत्र दिनांक 12.05.2015 के जरिये यह निर्देशित किया गया है कि भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनः व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत एवार्ड राशि अदा करने के निर्देश दिये गये थे। इस प्रकार वर्ष 2013 भूमि अवाप्ति अधिनियम के प्रावधान नेशनल हाईवे प्राधिकरण में भी लागू किये जा चुके थे तथा एवार्ड की तारीख से पूर्व यह प्रावधान लागु किये जा चुके थे जिसके अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया जावे। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रार्थी को नये अधिनियम के प्रावधानों की पालना में तय किये गये दिशा निर्देश अनुसार भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 105 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर क्षतिपूर्ति राशि प्रथम अनुसूची के अनुसार तय करने के निर्देश दिये गये हैं लेकिन उक्त प्रकरण में भूमि अर्जन अधिनियम 2013 लागु होने के उपरान्त भी प्रथम अनुसूची के अनुसार अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा तय नहीं किया गया है। उक्त अनुसार प्रार्थी की मुआवजा राशि तय करवायी जावे तथा मुआवजा/क्षतिपूर्ति राशि के साथ शत प्रतिशत तोषण (solatium) राशि भी प्रार्थीया प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थीया की कुल अवाप्तशुदा भूमि 78 वर्गमीटर का मुआवजा 12,06,270/– रूपये जिस पर बाजार दर का डेढ़ गुना 18,09,405/– रूपये तथा इस पर दिनांक 04.10.2013 से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज एवं तोषण (solatium) राशि 18.09.405/– रूपये प्रार्थीया प्राप्त करने की अधिकारी हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की भूमि जो उक्त अवाप्ति की कार्यवाही में अवाप्त की जा रही है उसका मुआवजा उपरोक्त वर्णित अनुसार निर्धारित करवा कर उक्त राशि प्रार्थीया को विपक्षी से दिलवायी जावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री गिरीश तिवारी ने उपस्थिति दी तथा विपक्षी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश बाफना ने उपस्थिति दी तथा विपक्षी संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता, श्री अनिल बागोरा उपस्थित हुए तथा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से अवार्ड पत्रावली तलब की गई।

विपक्षी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम धोईन्दा की आराजी नम्बर 3248/2 रकबा 0.0078 हैक्टर अवाप्त होना स्वीकार, जिसका 3A 3059 (अ) दि. 28.12.2012 एवं 3 डी 3014 दि. 04.10.2013 में प्रकाशन हुआ। नियमानुसार रू. 4,90,140/– तत्समय प्रचलित DLC दर से विधिवत् मुआवजा तय किया है, तथा प्रार्थीया वर्तमान बाजार दर से भी अधिक दर रू. 1500/– प्रति वर्गफीट से मुआवजा प्राप्त करना चाहती है, जो स्वीकार योग्य नहीं है। नियमानुसार कार्यवाही की

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

गई है, जबकि प्रार्थीया द्वारा मनगढन्त तरीके से गणना की गई है एवं कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है। प्रार्थीया द्वारा क्लेम/वैध दस्तावेज पेश नहीं करने से मुआवजा निर्धारण नहीं किया जा सकता है। भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 105 के अनुसार NHAI पर उक्त अधिनियम अक्षरशः लागु नहीं होता है तथा RFCTLARR Act 2013 के तहत कार्यवाही विचाराधीन है, जिससे उक्त प्रार्थना पत्र असामयिक होने से अभी पोषणीय नहीं है, प्रार्थीया द्वारा अधिवक्ता के मार्फत नोटिस अवश्य प्रेषित किया गया है, किन्तु अब तक कोई क्लेम/वैध दस्तावेज पेश नहीं करने से कार्यवाही लम्बित है। दिनांक 21.10.2013 को सार्वजनिक सूचना द्वारा क्लेम/दावे आमंत्रित किये गये थे, यह सूचना दिनांक 29.10.2013 को समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा द्वारा क्लेम/दावे आमंत्रित किये गये थे, इसके बावजुद प्रार्थीयां ने सप्रमाण निर्धारित 21 दिवस में कोई क्लेम पेश नहीं किया है. अतः प्रार्थी का क्लेम मयाद बाहर होने से उक्त प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं है।

विपक्षी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत धारा 3A की अधिसूचना क्रमांक 3059 (अ) दिनांक 28.12.12 को प्रकाशित की जाकर प्राप्त अपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् अधिनियम की धारा 3 (घ) की उपधारा (2) के अनुसरण में भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण के भाग द्वितीय खण्ड 3 उपखण्ड (II) में दिनांक 29.10.2013 को प्रकाशित अधिसूचना सं.का.आ. 3014 दिनांक 04.10.2013 द्वारा राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 के 00.000 कि.मी से 30.000 कि.मी (भीलवाड़ा–राजसमंद सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चारलेन का बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिये ग्राम धोईन्दा के खसरा सं. 3248/2 रकबा 0.0729 है भूमि किस्म नहरी 2 जो राजस्व अभिलेख में बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज है। जो भूमि सभी विवादों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में निहित हो गई है तथा अवाप्तशुदा भूमि का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो मुआवजा निर्धारण किया गया है उस अनुसार राशि जवाबदाता द्वारा सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित कर दी गई है। उक्त अवाप्तशुदा खसरा सं. 3248/2 रकबा 0.0729 है भूमि किस्म नहरी 2 में से तहसीलदार राजसमंद से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार 0.0563 है भूमि वाणिज्यिक उपयोग की भूमि है जिसमें से प्रार्थीया की 0.0078 है सम्मिलित है। अधिनियम की धारा 3 की अधिसूचना दिनांक 28.12.12 के प्रकाशन के पूर्व ही भूमि पंचायत पट्टा तथा आवासीय/वाणिज्यिक रूपांतरण हो चुकी थी जिससे भूमि रूपांतरण पट्टों एवं तहसीलदार राजसमंद की मौके की रिपोर्ट एवं दिनांक 28.12.2012 को प्रचलित डी.एल.सी दर अनुसार प्रार्थीया की अवाप्तशुदा भूमि की 6283.83/–रूपये प्रति वर्ग मी. से मुअवाजा निर्धारण किया गया है। अधिनियम की धारा 3 ए प्रकाशन के बाद अधिनियम की धारा 3 डी प्रकाशन तक विभिन्न प्रक्रियाओ से गुजरने के बाद भूमि अवाप्ति की कार्यवाही सम्पूर्ण होती है, जिसमें समय लगना स्वभाविक है। सक्षम प्राधिकारी जी ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसरण में अवार्ड जारी फरमाया है एवं दिनांक 30.10.2018 को RFCTLARR Act 2013 के अनुसार संशोधित अवार्ड जारी फरमा दिया गया है। सक्षम प्राधिकारी जी ने प्रचलित कानून व दस्तावेजो के आधार पर विधिवत अवार्ड जारी फरमाया है एवं जवाबदाता द्वारा मुआवजा राशि सक्षम प्राधिकारीजी को प्रेषित कर दी गई है। सक्षम प्राधिकारी जी ने प्रचलित बाजार दर के अनुसार प्रतिकर की गणना कर ग्राम धोईन्दा के खसरा नं. 3248/2 की मौके पर फोर लेन सड़क में अवाप्त वास्तविक क्षेत्रफल रकबा 0.0563 है. भूमि बाबत् राज) RFCTLARR Act 2013 में वर्णित

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रावधानो के अनुसार हितबद्ध व्यक्ति के पक्ष में दिनांक 30–10–2018 को संशोधित अवार्ड जारी किया गया। जिसका भुगतान सक्षम प्राधिकारी जी के मार्फत किया जाना है। प्रार्थीया ने जिस अनुतोष की प्रार्थना की है, वह नितान्त असत्य एवं आधारहीन होने से जवाबदाता के विरूद्ध प्रार्थनापत्र कानूनन पोषणीय नहीं होने से सव्यय खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीया जवाबदाता के विरूद्ध सव्यय खारिज फरमायी जावे।

विपक्षी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नियमानुसार राजस्व रेकर्ड एवं मौके की स्थिति संरचना की नियमानुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है एवं उस पर नियमानुसार देय मुआवजे की गणना की जाकर मुआवजा राशि विपक्षीगण द्वारा जारी की गयी है। प्रार्थी इसके अतिरिक्त कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। नियमानुसार मुआवजा राशि की गणना की गयी है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र विरुद्ध विपक्षीगण सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीया की अवाप्तशुदा भूमि जो राजस्व ग्राम धोईन्दा तहसील व जिला राजसमंद की आराजी संख्या 3248/2 रकबा 78 वर्गमीटर को भी सम्मिलित किया गया है। उक्त अवाप्तशुदा भूमि की वर्तमान बाजार दर 1500 रूपये प्रति वर्गफीट से भी अधिक है। जबकि उक्त भूमि का मुआवजा प्रार्थीया को 6283.84 वर्गमीटर की दर से ही तय किया गया है जो कि 4,90,140/– रूपये ही अदा किया गया है। जबकि उक्त भूमि जो कि 78 वर्गमीटर अवाप्त की गई है, उस 1500/– रूपये प्रति वर्गफीट की दर से 12,06,270/– रूपये मुआवजा देय होता है। सक्षम प्राधिकारी अधिकारी द्वारा इसके अनुसार मुआवजा राशि तय नहीं की न ही अदा की, न ही एवार्ड जारी किया गया जबकि प्रार्थीया की 78 वर्गमीटर अवाप्त होने पर मुआवजा मात्र 4,90,140/– रूपये ही अदा किये गये हैं जबकि 1500 रूपये की दर से 12,06,270/– रूपये देय होता है तथा उसके भुगतान पर हुई देरी पर ब्याज तोषण (solatium) राशि देय होती है जो कि उक्त प्रकरण में अदा नहीं किया गया है उक्त अवाप्ति कार्यवाही में मुआवजा राशि नेशनल हाईवे प्राधिकरण भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय द्वारापने पत्र दिनांक 12.05.2015 के जरिये यह निर्देशित किया गया है कि भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनः व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत एवार्ड राशि अदा करने के निर्देश दिये गये थे। इस प्रकार वर्ष 2013 भू अवाप्ति अधिनियम के प्रावधान नेशनल हाईवे प्राधिकरण में भी लागू किये जा चुके थे तथा एवार्ड की तारीख से पूर्व यह प्रावधान लागु किये जा चुके थे जिसके अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया जावे।

विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम धोईन्दा की आराजी नम्बर 3248/2 रकबा 0.0078 हैक्टर अवाप्त होना स्वीकार, जिसका 3A 3059 (अ) दि. 28.12.2012 एवं 3 डी 3014 दि. 04.10. 2013 में प्रकाशन हुआ। नियमानुसार रू. 4,90,140/–तत्समय प्रचलित DLC दर से ग्राम धोईन्दा में विधिवत् मुआवजा तय किया है, तथा प्रार्थीगण वर्तमान बाजार दर से भी अधिक दर रू. 1500/– प्रति वर्गफीट से मुआवजा प्राप्त करना चाहती है, जो स्वीकार योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी का क्लेम मयाद बाहर होने से उक्त प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं है।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

विपक्षी संख्या 2 के अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम धोईन्दा के खसरा सं. 3248/2 रकबा 0.0729 है भूमि किस्म नहरी 2 जो राजस्व अभिलेख में बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज है बाबत् भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की गई जो भूमि सभी विवादों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में निहित हो गई है तथा अवाप्तशुदा भूमि का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो मुआवजा निर्धारण किया गया है उस अनुसार राशि जवाबदाता द्वारा सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित कर दी गई है। उक्त अवाप्तशुदा खसरा सं. 3248/2 रकबा 0.0729 है भूमि किस्म नहरी 2 में से तहसीलदार राजसमंद से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार 0.0563 है भूमि वाणिज्यिक उपयोग की भूमि है जिसमें से प्रार्थीया की 0.0078 है सम्मिलित है। अधिनियम की धारा 3 की अधिसूचना दिनांक 28.12.12 के प्रकाशन के पूर्व ही भूमि पंचायत पट्टा तथा आवासीय/वाणिज्यिक रूपांतरण हो चुकी थी जिससे भूमि रूपांतरण पट्टों एवं तहसीलदार राजसमंद की मौके की रिपोर्ट एवं दिनांक 28.12.2012 को प्रचलित डी.एल.सी दर अनुसार प्रार्थीया की अवाप्तशुदा भूमि की 6283.83/–रूपये प्रति वर्ग मी. से मुअवाजा निर्धारण किया गया है। अधिनियम की धारा 3ए प्रकाशन के बाद अधिनियम की धारा 3 डी प्रकाशन तक विभिन्न प्रक्रियाओ से गुजरने के बाद भूमि अवाप्ति की कार्यवाही सम्पूर्ण होती है, जिसमें समय लगना स्वभाविक है। सक्षम प्राधिकारीजी ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसरण में अवार्ड जारी फरमाया है एवं दिनांक 30.10.2018 को RFCTLARR Act 2013 के अनुसार संशोधित अवार्ड जारी फरमा दिया गया है। सक्षम प्राधिकारीजी ने प्रचलित कानून व दस्तावेजो के आधार पर विधिवत अवार्ड जारी फरमाया है अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीया जवाबदाता के विरूद्ध सव्यय खारिज फरमायी जावे।

विपक्षी संख्या 3 के अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि विपक्षी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नियमानुसार राजस्व रेकर्ड एवं मौके की स्थिति संरचना की नियमानुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है एवं उस पर नियमानुसार देय मुआवजे की गणना की जाकर मुआवजा राशि विपक्षीगण द्वारा जारी की गयी है। प्रार्थी इसके अतिरिक्त कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। नियमानुसार मुआवजा राशि की गणना की गयी है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र विरुद्ध विपक्षीगण सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनकर बहस पर गहन मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। यह प्रकरण ग्राम धोईन्दा तहसील व जिला राजसमन्द की आराजी संख्या 3248/2 में वाणिज्यिक संपरिवर्तन भूखण्ड की अवाप्ति से संबंधित है यह मूल भूखण्ड श्री कमलेश हींगड़ के नाम कृषि से आवासीय के रूप में संपरिवर्तित किये गये थे। और उनके द्वारा प्रार्थिया को इसमें से कुछ भूखण्ड को विक्रय किया गया था और उस भूखण्ड में से 78 वर्गमीटर भूमि नेशनल हाईव ऑथोरिटी प्राधिकरण द्वारा अवाप्त की गयी थी। इस अवाप्ति के बदले मूल अवार्ड दिनांक 24.04.2017 को जारी किया गया था जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुरूप था जिसमें डीएलसी के आधार पर अवार्ड की गणना की गयी थी। तथा उसमें सोलेशियम राशि का प्रावधान नहीं किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार अवार्ड दिनांक 01.01.2015 के पश्चात जारी होने से अधिनियम 2013 के प्रावधान लागु हो जाने से इसका संशोधित अवार्ड दिनांक 22.03.2019 को जारी किया

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

जा चुका है। जो अधिनस्थ कार्यालय की पत्रावली में संलग्न है और इस अवार्ड के अनुसार भूखण्ड की जो राशि बनती है। उसका 1.25 से गुणा किया गया, फिर उसे उतनी ही राशि का सोलेशियम का भुगतान किया गया तथा 541 दिन के ब्याज का भुगतान भी किया गया है। और जो पूर्व में राशि का भुगतान 4,90,140 रूपये किया गया था इसके अलावा 5,77,318 रूपये की राशि के और भुगतान के आदेश भी प्रार्थी के पक्ष में प्रदान किये गये है।

अतः इस प्रकरण में प्रार्थी के पक्ष में जो भी अवार्ड जारी हुआ है। वो RFCTLARR Act 2013 के प्रावधानों के अनुरूप जारी हुआ है। पूर्व में जारी अवार्ड में RFCTLARR Act 2013 के प्रावधानो का ध्यान नहीं रखा था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में सुधार कर दिया गया। तथा RFCTLARR Act 2013 के प्रावधाना को लागु करने के पश्चात जो शेष राशि बनती है। उसके भी भुगतान के आदेश दे दिये गये है।

अतः ऐसी स्थिति में प्रश्नगत प्रकरण में अब कोई कारवाई शेष नहीं रह जाने से प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की मूल अवार्ड पत्रावली सक्षम प्राधिकारी, भू अवाप्ति अधिकारी, अति० जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

(अरूण कुमार हसीजा)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द

आदेश आज दिनांक 29.08.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)